जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0/सा0प्र0/ 3147/2022 दिनांक : 20 दिसम्बर, 2022

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक,
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः–उच्च शिक्षा विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में तथा अशासकीय अनानुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के मानक आदि के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के पत्र संख्याः 2/2020/226/सत्तर–2–2020–18(31)/2018, दिनांकः 13 मार्च, 2020 के अनुक्रम में कार्य परिषद की बैठक दिनांकः 19 दिसम्बर, 2022 में अनुमोदनोपरान्त माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार *जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के अनुमोदनोपरान्त कार्यरत शिक्षकों की सेवा, सम्बन्धित विषय/पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा सन्तोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेंगी।* शिक्षकों की गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता के निर्धारण के लिए महाविद्यालय द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता में अपनाया जाना आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए माननीय कुलपति जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(एस0एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. माननीय कुलपति जी।
02. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, वाराणसी।
04. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव